

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. - 69ए/16
संस्थित दिनांक - 17.02.2011

1. नारायण पुत्र भूपत कुशवाह उम्र 45 साल पेशा खेती
निवासी ग्राम प्राणपुर, मुरादपुर परगना चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादी

विरुद्ध

1. दसोदा बाई रखैल पत्नि परम आयु 55 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0
2. सीमा पुत्री परम पत्नि श्यामलाल कुशवाह उम्र 32 साल
निवासी ग्राम कडराना परगना चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0
3. पानाबाई पुत्री परम पत्नि भूरा उम्र 31 साल
निवासी ग्राम कारातली परगना मुंगावली,
जिला अशोकनगर म0प्र0
4. पार्वती पुत्री परम उम्र 20 साल
5. रामप्रसाद पुत्र प्यारेलाल कुशवाह उम्र 76 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र
6. मुलिया बाई पुत्री प्यारेलाल कुशवाह उम्र 66 साल
निवासी ग्राम पिपरई परगना मुंगावली,
जिला अशोकनगर म0प्र0
7. हल्की बाई पुत्री प्यारेलाल कुशवाह उम्र 61 साल
निवासी ग्राम पिपरई परगना मुंगावली,
जिला अशोकनगर म0प्र0
8. बुदिया बाई पत्नि भूपत उम्र 66 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0
9. गुड्डी बाई पुत्री भूपत पत्नि नारायण कुशवाह उम्र 41 साल
निवासी ग्राम मडवारी,
जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश
10. सुखवती पुत्री भूपत पत्नि चुन्नी कुशवाह उम्र 38 साल

- निवासी ग्राम जखौरा,
जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश
11. कोमल पुत्र बलुआ कुशवाह उम्र 51 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0
 12. मुन्ना लाल पुत्र बलुआ कुशवाह उम्र 46 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0
 13. भगवान दास पुत्र बलुआ कुशवाह उम्र 41 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0
 14. हरदास पुत्र धीरे कुशवाह उम्र 61 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर परगना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0
 15. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश मण्डल अध्यक्ष
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //
:: आज दिनांक 14.07.2017 को पारित ::

- 01— यह वाद ग्राम खानपुर पटवारी हल्का नंबर 10 तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 232/1 रक्बा 0.071 है, सर्वे क्रमांक 238/1 रक्बा 0.04 है, सर्वे क्रमांक 242/1 रक्बा 0.097 है, सर्वे क्रमांक 244/1 रक्बा 0.117 है, सर्वे क्रमांक 308/01 रक्बा 0.097 है, सर्वे क्रमांक 315/1 रक्बा 4.264 है, कुल सर्वे नंबर 6 कुल रक्बा 4.704 है, मे से 1/6 एवं सर्वे क्रमांक 316 रक्बा 0.084 है, मे से हिस्सा 1/8 भाग। ग्राम मुरादपुर पटवारी हल्का नंबर 10 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 273 रक्बा 0.021 है, सर्वे क्रमांक 277 रक्बा 2.533 है, सर्वे क्रमांक 284 रक्बा 0.219 है, कुल सर्वे नंबर 3 रक्बा 0.773 है में से 1/8 एवं ग्राम प्राणपुर में स्थित कमरे तीन पक्के एक कच्चा एक पुराना मकान जिसमें एक कच्चा घर बड़ा, एक पोर में से 1/2 उक्त मकान का नंबर 137 एवं तीस पेड आम के गुल्ला, एक जामुन का, एवं पच्चीस पेड जामफल के, दो पेड आंवरी के, में से 1/2 भाग, जिसे निर्णय आगे के चरणों में विवादित संपत्ति के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता सहित दिनांक 20.10.2008 को परम के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का हुआ फौती नामांतरण वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी के पिता भूपत एवं परम आपस में सगे भाई थे। प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि परम की मृत्यु हो चुकी है तथा नारायण भूपत का पुत्र होकर परम का सगा भतीजा था।

- 03— दावा संक्षेप में इस प्रकार है वादी के चाचा परम की मृत्यु दिनांक 25.08.2008 को हुयी थी, परम की सेवा भरण पोषण इलाज आदि वादी ने किया था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात काज किया व तेरई आदि वादी के किये थे। परम ने स्वेच्छया से वादी के पक्ष में दिनांक 04.10.2008 को विवादित संपत्ति का वसीयतनामा निष्पादित किया था, जिसके आधार पर वादी विवादित संपत्ति का स्वामी होकर नामात्रण कराने का पात्र है। प्रतिवादी क्रमांक 1 परम की विवाहित पत्नी नहीं है न ही प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 4 परम की पुत्रियां हैं, इस कारण परम की संपत्ति पर उनका कोई स्वत्व नहीं है। परन्तु विधि के प्रतिकूल प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 ने दिनांक 20.10.2008 को परम की संपत्तियों पर अपना नामांतरण करा लिया गया, जिसके कारण परम की मृत्यु के पश्चात् वादीके द्वारा नामांतरण कराये जाने के संबंध में दिया गया आवेदन वादी को सुने बिना दिनांक 20.01.11 को निरस्त कर दिया गया। जिससे वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप यह वाद का मूल्यांकन 50000 रुपये पर करके 1000 रुपये के न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4, 5 व 14 की ओर से दावे समस्त अभिवचनों को अस्वीकार किया है। उनकी ओर से प्रस्तुत जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित संपत्ति से वादी का कोई संबंध नहीं है। विवादित संपत्ति परम की स्वत्व व आधिपत्य की संपत्ति थी, जिस पर परम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 और पुत्रियां प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 4 का विधिवत् नामात्रण हुआ। परम ने दिनांक 04.10.2008 को कोई वसीयत नामा निष्पादित नहीं किया। वादी ने विवादित संपत्ति हड़पने के लिये फर्जी वसीयत नामा तैयार किया है जो पंजीकृत एवं नोटरी तक नहीं है। परम के जीवन काल में उसकी सेवा इलाज व भरण पोषण आदि उसकी पत्नी व लड़कियों के द्वारा किया गया तथा परम की मृत्यु के उपरांत काज किया एवं तेरई में उन्ही लोगों ने की है। विवादित भूमियों पर वादी का कब्जा नहीं है, उक्त भूमि शामिली है तथा परम की हिस्से की भूमियों पर परम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी व लड़कियों का कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का परम की संपत्ति पर विधिवत् नामांतरण किया गया है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा उसे नामांतरण निरस्त कराने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। वादी के द्वारा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अतः वाद सब्यय निरस्त किये जाने का निवेदन कर पांच हजार रुपये हर्जा दिलाये जाने का निवेदन किया।
- 05— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी ग्राम खानपुर पटवारी हल्का नंबर 10 चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 232/1	प्रमाणित नहीं।

(4)

	रक्बा 0.071 है, सर्वे क्रमांक 238/1 रक्बा 0.094 है, सर्वे क्रमांक 242/1 रक्बा 0.097 है, सर्वे क्रमांक 244/1 रक्बा 0.117 है, सर्वे क्रमांक 308/01 रक्बा 0.097 है, सर्वे क्रमांक 315/1 रक्बा 4.264 है, कुल रक्बा 6 कुल सर्वे नंबर 4.704 है, मे से 1/6 सर्वे क्रमांक 316 रक्बा 0.084 है, मे से हिस्सा 1/8 ग्राम मुरादपुर पटवारी हल्का नंबर 10 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 273 रक्बा 0.021 है, सर्वे क्रमांक 277 रक्बा 0.533 है, सर्वे क्रमांक 284 रक्बा 0.219 है, कुल सर्वे नंबर 3 रक्बा 0.773 है में से 1/8 एवं ग्राम प्राणपुर में स्थित कमरे तीन पक्के एक कच्चा एक पुराना मकान जिसमें एक कच्चा घर बड़ा, एक पोर में से 1/2 उक्त मकान का नंबर 137 एवं तीस पेड आम के गुल्ला, एक जामुन का, एवं पच्चीय पेड जामफल के, दो पेड ऑवरी के, में से 1/2 भाग का विधिक स्वतव एवं आधिपत्यधारी है ?	
2.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 04 द्वारा अपने पक्ष में कराया फौती नामांतरण दिनांक 20.10.09 वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या प्रतिवादीगण वादी के विधिक आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	क्या वादी द्वारा अपने पक्ष में मृतक परम से अवैध रूप से वसियतनामा संपादित करा लिया है ?	प्रमाणित है।
6.	क्या वादी ने दावे का उचित मूल्यांकन कर न्यायशुल्क चर्चा की है ?	प्रमाणित है।
7.	सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय की कण्डिका 23 के अनुसार दावा निरस्त किया गया।

—ःसकारण निष्कर्षः—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 06— वादी की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के अनुसार प्रकरण में विवादित संपत्ति पूर्व में उसके चाचा परम के स्वत्व व अधिपत्य की थी, जिसके द्वारा उक्त संपत्तियों को वसीयतनामा दिनांक 04.10.08 को वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। वादी का यह भी कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 न तो परम की विवादित पत्नी है, और न ही प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 और 4 परम की पत्नी है। परम की मृत्यु उपरांत वादी के द्वारा उक्त विवादित संपत्तियों के वसीयतनामे के आधार पर स्वामी होने के संबंध में अभिवचन किये गये हैं। वादी की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में उक्त वसीयतनामा प्र०पी० 2 सहित पंचनामा प्र०पी० 1 व ग्राम खानपुर की विवादित भूमियों से संबंधित वर्ष 2010-11 की खतौनी प्र०पी० 3 व 4 एवं खसरा वर्ष 2010-11 की सत्यप्रतिलिपि प्रपी 5, 6 व 7 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं।
- 07— वादी की ओर से अपने समर्थन में साक्षी के रूप में गनपत (व०सा०-1), मोहन (व०सा०-2) व पंचनामा प्र०पी० 1 के साक्षी जोराबल (व०सा०-3) एवं वीरन सिंह (व०सा०-5) सहित त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) जिसके द्वारा प्र०पी० 2 के वसीयतनामा टाइप किया गया है, के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि ग्राम खानपुर की विवादित भूमियों के अलावा भी वादी के द्वारा ग्राम प्राणपुर स्थित परम के कमरे एवं दो मकान सहित तीस पेड़ आम के, एक जामुन पच्चीस पेड़ जामफल एवं दो पेड़ अम्बारी पर भी आधे भाग पर अपना स्वत्व व अधिपत्य घोषित किये जाने की सहायता चाही गयी, परन्तु उक्त परम की हैं, किस स्थान पर हैं, उनकी पहचान क्या है, इस संबंध में अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य परम का स्वामित्व साबित करने के लिये अभिलेख नहीं है।
- 08— वादी नारायण के स्वयं के साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद वह प्रतिपरीक्षण के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही वसीयतनामे का साक्षी भज्जू साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रतिपरीक्षण के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः इन दोनों ही साक्षियों के ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई साक्षिक मूल्य नहीं रह जाता है। वादी की ओर से प्र०पी० 2 के दस्तावेज को टाइप करने वाले साक्षी त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) का कहना है कि वह परम और नारायण को पहले से नहीं जानता था तथा वह स्वयं वसीयतनामा दिनांक 04.10.08 को दस्तावेज लेखक न होकर स्टाम्प बैण्डर था। इस साक्षी का यह भी कहना है कि वह दस्तावेज टाइप करने के रिकॉर्ड नहीं रखता है और न ही दस्तावेज की प्रति अपने पास रखता है।
- 09— त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) यदि सामान्य अनुक्रम में दस्तावेजों को टाइप करता है और प्र०पी० 2 भी उसी अनुक्रम में उसके द्वारा बिना किसी पूर्व की जानकारी पहचान के टाइप किया गया। इस साक्षी की कोई पूर्व की जानकारी पहचान वसीयत कर्ता और वसीयत ग्रहिता

से नहीं थी, न ही वह वसीयत के साक्षियों को पूर्व से जानता था। उसके पास पूर्व का कोई रिकार्ड नहीं रहता है यह उसने स्वयं स्वीकार किया है अतः ऐसे में प्र०पी० 2 की वसीयत किसके द्वारा लिखवायी गयी व किसके पक्ष में लिखी गयी व किस व्यक्ति ने उस पर हस्ताक्षर व अंगूठा लगाया इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथन कही से भी विश्वसनीय नहीं है।

- 10— वादी के अभिवचनों के अनुसार विवादित संपत्तियां पर उसके स्वामित्व का मुख्य आधार परम द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्र०पी० 2 है। परन्तु उक्त वसीयतनामा प्र०पी० 2 प्रमाणित करने के लिये स्वयं वादी ही न्यायालय में साक्ष्य देने के लिये उपस्थित नहीं हुआ। त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि प्र०पी० 2 का वसीयतनामा उसे टाइप किया है, जो परम ने नारायण के पक्ष में निष्पादित किया था और उस पर परम और नारायण ने अंगूठा निशानी किये थे और वसीयतनामा के साक्षी रामबाबू और भज्जू ने भी प्र०पी० 2 अपने चिन्ह लगाये थे। अनुप्रमाणक साक्षियों के जीवित रहते वसीयतनामा केवल अनुप्रमाणक साक्षियों की साक्ष्य से ही साबित कराया जा सकता है। अतः त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों का कोई महत्व नहीं है।
- 11— हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत का अनुप्रमाणन होना आवश्यक होता है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कोई दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे तब तक साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जावेगा तब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी यदि वह जीवित हैं, उसे निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो। वादी के अभिवचनों के अनुसार प्र०पी० 2 का वसीयतनामा साक्षी भज्जू व राम बाबू के समक्ष निष्पादित हुआ था, परन्तु इन दोनों साक्षियों के कथन वादी की ओर से न्यायालय में नहीं कराये गये। वादी का कही अपने अभिवचनों में यह कहना नहीं है कि अनुप्रमाणक साक्षी जीवित नहीं है। अनुप्रमाणक साक्षी भज्जू साक्ष्य का शपथ पत्र देने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।
- 12— अतः ऐसे में अनुप्रमाणक साक्षियों की साक्ष्य के अभाव में वसीयतनामा प्र०पी० 2 साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वैसे ही साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। त्रिपुरारी चोबे (व०सा०-4) वसीयत के टाइप कर्ता की साक्ष्य अनुप्रमाणक साक्षियों के साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। अतः वादी प्रस्तुत वसीयतनामा प्र०पी० 2 का विधिवत निष्पादन साबित नहीं कर सका है।
- 13— वादी की ओर से प्र०पी० 1 का पंचनामा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उक्त पंचनामा किसके द्वारा लेख किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया और न ही उस पंचनामों का उल्लेख अभिवचनों में है यहां तक कि पंचनामा के साक्षी वीरन (व०सा०-5) ने अपने

कथनों में इस बात तक की पुष्टि नहीं की है कि पंचनामा प्र०पी० 1 किसके द्वारा व किस संबंध में लिखा गया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उसने नारायण के कहने पर किस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये।

14— पंचनामा प्र०पी० 1 का दूसरा साक्षी जोराबल (व०सा०—3) प्र०पी० 1 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है, परन्तु इस साक्षी का अपने कथनों में कहना है कि पंचनामों की लिखापट्टी उसके सामने नहीं हुयी थी तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि पंचनामा प्र०पी० 1 में क्या लिखा है और न ही उसे पंचनामा उसे पढ़कर सुनाया गया। पंचनामा प्र०पी० 1 किस संबंध में व किसके द्वारा लिखा गया है इस संबंध में पंचनामा के साक्षी वीरन (व०सा०—5) व जोराबल (व०सा०—3) कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं तथा दोनों ही साक्षियों को यह जानकारी नहीं है कि प्र०पी० 1 का पंचनामा किस संबंध में लिखा गया है। अतः मात्र पंचनामा प्र०पी० 1 पर इस साक्षी के हस्ताक्षर होने से पंचनामा प्र०पी० 1 की अंतरवस्तु साबित नहीं होती है।

15— विवादित संपत्तियों की वसीयत प्र०पी० 2 परम ने नारायण के पक्ष में निष्पादित की थी, यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से साबित नहीं होता है, अतः उपरोक्त आधार पर परम के हिस्से की भूमियों पर एवं उसकी संपत्तियों पर वादी का विधिक स्वत्व व अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है। प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में कहना है कि नारायण ने फर्जी वसीयतनामा निष्पादित कराया है। जिसके संबंध में दशोदाबाई (प्र०सा०—1) एवं संतोष (प्र०सा०—2) ने अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट साक्ष्य दिए। इन साक्षियों का प्रतिपरीक्षण न किए जाने से इन साक्षियों की साक्ष्य अखंडित रही। वसीयतनामा प्र०पी० 2 का निष्पादन वादी साबित करने में सफल नहीं हुआ। अतः दशोदाबाई (प्र०सा०—1) एवं संतोष (प्र०सा०—2) की अखंडित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। जिससे इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है कि वादी द्वारा अपने पक्ष में मृतक परम से अवैध वसीयतनामा प्र०पी० 2 संपादित करा लिया है अतः वाद प्रश्न क्र० 1 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक एवं वाद प्रश्न क्र० 5 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

16— वादी के अभिवचनों के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 परम की पत्नी नहीं है तथा प्रतिवादी क्र० 2 लगायत 4 उसकी पुत्रिया नहीं है। उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये वादी स्वयं साक्ष्य देने के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। वही इस संबंध में स्वयं वादी साक्षियों के कथन भी आपस में विरोधाभासी है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वास्तव में परम की पत्नी है अथवा नहीं। तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 परम की पुत्रियां हैं अथवा नहीं। वादी साक्षी वीरन (व०सा०—5) वादी के अभिवचनों के विपरीत अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह स्वीकार करता है कि परम और दसोदा बाई पति पत्नी के रूप में साथ में रहते थे तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दसोदा

बाई परम की विधावा है और सीमा, पाना बाई व पार्वती उसकी लडकी हैं। यह साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि परम बीमारी से पहले दसोदा बाई के साथ रहता था।

- 17— इसी प्रकार वादी साक्षी जोराबल (व0सा0-3) भी अपने न्यायालीन कथनों में यह स्वीकार करता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 दसोदा बाई परम की पत्नी हैं, जो परम के पास रहती थी तथा उसकी देखरेख भी करती थीं। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि है दसोदा बाई परम की बीस साल से पत्नी है और उसके परम से लडकियां भी थी तथा परम मरने से पहले दसोदा बाई के साथ रहता था। अतः वादी के अभिवचनों के विपरीत स्वयं उसी के साक्षी वीरन (व0सा0-5) व जोराबल (व0सा0-3) जसोदा बाई को परम की पत्नी होना अपने कथनों में स्वीकार करते हैं।
- 18— उपरोक्त दोनों साक्षियों के कथनों के विपरीत हालांकि गनपत (व0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में वादी के समर्थन में यह कथन अवश्य दिये हैं कि परम हमेशा नारायण के पास रहा है तथा उसी ने परम की सेवा खुशामद भी की हैं। इस साक्षी का कहना है कि परम कुंवारे मरे थे तथा परम उससे कहता था कि नारायण के अलावा उसका और कोई नहीं है। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि उसके बाप दादा के समय से ही उसके परम से संबंध थे। एक ओर यह साक्षी परम से इतने पुराने संबंध होना बताता है, परन्तु इतने पुराने संबंध होने के बाद भी दसोदा बाई व उसकी लडकियों को परम से क्या संबंध था, वास्तव में दसोदा बाई परम की पत्नी थी या परम ने उसे रख लिया था या वो परम के साथ कितने समय तक रही, इसकी जानकारी न होना बताता है। इस साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि दसोदा बाई के हिस्से में कितनी जमीन आयी, परम को क्या बीमारी थी, नारायण ने परम का इलाज कहा कराया। एक व्यक्ति जो बाप दादा के समय से मृतक परम से अपने संबंध होना बता रहा है, उससे यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि परम के परिवार के बारे में ही उसे जानकारी न हो। गनपत (व0सा0-1) के कथन अन्य वादी साक्षियों के कथनों के विरोधाभासी होने से इस संबंध में विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं कि परम की शादी नहीं हुयी थी तथा एक मात्र नारायण के पास ही परम रहा है। अतः वादी अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि वास्तव में प्रतिवादी क्रमांक 1 परम की वैध पत्नी नहीं है एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 परम की वैध संतानें नहीं हैं। अतः ऐसे में परम की मृत्यु के पश्चात् राजस्व खसरा व खतौनी प्रदर्श पी 3 लगायत 7 में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का हुआ फौती नामात्रण अवैध रूप से बिना किसी आधार के हुआ है, यह नहीं माना जा सकता है। अतः विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का दिनांक 20.10.09 को हुआ फौती नामात्रण वादी के स्वत्व के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होना प्रमाणित नहीं होता है।
- 19— वादी अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह साबित नहीं करने में सफल नहीं हुआ कि ग्राम खानपुर की विवादित भूमियां का परम के द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित

किया गया। वादी यह भी साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 परम की वैध पत्नी नहीं है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 परम की वैध संतानें नहीं हैं, जबकि दसोदा बाई (प्र0सा0-1) एवं संतोष (प्र0सा0-2) के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह स्पष्ट कथन दिये गये हैं कि दसोदा बाई पसा 1 परम की वैध पत्नी हैं एवं दसोदा बाई को परम से तीन पुत्रिया हैं जो कि प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 हैं। दसोदा बाई (प्र0सा0-1) व संतोष (प्र0सा0-2) को उपरोक्त शपथ पत्रियों कथनों को उनका प्रतिपरीक्षण न करके वादी पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

- 20— प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत विवादित भूमियों के खसरा व खतौनी प्रपी 3 लगायत 7 के अनुसार विवादित भूमियों पर वादी परम के साथ सहखातेदार था, तथा परम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का परम के स्थान पर नामात्रण होने के पश्चात वह उनके साथ विवादित भूमियों का सह खातेदार हो गये हैं। विवादित भूमियां वादी के स्वत्व व अधिपत्य की होना अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण वादी के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमियों के संबंध में किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। अतः उपरोक्त आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 2, 3 व 4 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 21— वादी के द्वारा अपने अभिवचनों की कण्डिका चौदह में दावे का मूल्य भूमि के लगान 25/— रुपये के बीस गुना जो कि 500/— रुपये पर है, निर्धारित किया गया है, जिस पर वादी के द्वारा कुल 1000/—रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया। वादी के द्वारा प्रकरण में विवादित संपत्तियों पर स्वत्व घोषणा की सहायता सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गयी हैं तथा पृथक से विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का हुआ फौती नामात्रण दिनांक 20.10.08 शून्य घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता चाही है।
- 22— विवादित भूमियों पर स्वत्व घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता के साथ स्थाई निषेधाज्ञा के साथ परिणामिक सहायता है जिस पर वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 74 सी के अनुसार अदा करना था। उक्त प्रावधान के अनुसार न्यायशुल्क की गणना के लिये मूल्य वही होगा जो कि वाद मूल्य है अर्थात् लगान का बीस गुना जो कि 500/— रुपये हैं। अर्थात् वादी को स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिए 500/— रुपये पर 12 प्रतिशत की दर से अर्थात् 60/— रुपये न्यायशुल्क अदा करना था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 विवादित भूमियों पर नामात्रण शून्य घोषित किए जाने की सहायता के लिए निश्चित न्याय शुल्क 500/— रु0 अदा करना था। वादी के द्वारा उपरोक्त गणना किए गए न्याय शुल्क से अधिक 1000/— रुपये न्याय शुल्क अदा किया है जो यह स्पष्ट करता है कि वादी ने दावे का उचित मूल्यांकन कर

पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 6 का निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 7 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

सहायता एवं वाद व्यय

- 23- वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.